भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3582

उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

छात्रों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे

†3582. **श्री टी.एम. सेल्वागणपति**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध विद्यालयों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों के महत्वपूर्ण स्थानों पर उच्च रिज़ॉल्यूशन और दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग क्षमता वाले क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाने का निर्देश दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सीबीएसई ने 2018 के अपने संबद्धता उपनियमों को अद्यतन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) मैनुअल के खंड 1(X) के प्रावधानों के अनुसार, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दिनांक 21.07.2025 की अधिसूचना संख्या सीबीएसई/एएफएफ./अधिसूचना/2025/01310 द्वारा अपने संबद्ध स्कूलों के सभी प्रमुखों को स्कूल परिसर में दृश्य-श्रव्य सुविधा के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।

बोर्ड ने दिनांक 21.07.2025 की अधिसूचना संख्या सीबीएसई/एएफएफ./अधिसूचना/2025/01310 द्वारा अध्याय 4 (वास्तविक अवसंरचना) में खंड 4.7.10 जोड़कर अपने संबद्धता उपनियम-2018 में निम्नलिखित संशोधन किया है:

"विद्यालय को सभी प्रवेश और निकास द्वारों, लॉबी, गलियारों, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन क्षेत्र, भंडारण कक्ष, खेल के मैदान और शौचालयों अथवा वाशरूम को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में वास्तविक समय दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग के साथ श्रव्य-दृश्य सुविधा युक्त उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। इन सीसीटीवी कैमरों में कम से कम 15 दिनों की फुटेज संग्रहित क्षमता वाला एक स्टोरेज डिवाइस होना आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखा जाए, यदि अपेक्षित हो, तो जिसे प्राधिकारी द्वारा देखा जा सके।"

***